


18. उषाबाई पिता रानिया पति गंगाराम बारेला उम्र 27 वर्ष
निवासी ढोलबाज पानीगांव तेहसील कन्नौद जिला देवास
19. संगीताबाई पिता रानिया पति रिकू बारेला उम्र 22 वर्ष
निवासी ग्राम कालापाठा तेहसील कन्नौद जिला देवास
20. नानलीबाई पति स्व. रानिया बारेला उम्र 50 वर्ष धंधा खेती
निवासी ग्राम बडीकराड वावडीखेडा तेहसील कन्नौद

विरुद्ध

प्राधीगण

1. जुवानसिंह पिता गुसाई बारेला उम्र 60 वर्ष धंधा खेती
निवासी ग्राम बडीकराड वावडीखेडा तेहसील कन्नौद
2. भुवानसिंह पिता गुसाई बारेला उम्र 38 वर्ष धंधा खेती
निवासी ग्राम बडीकराड वावडीखेडा तेहसील कन्नौद
3. हेमराज पिता गुसाई बारेला उम्र 35 वर्ष धंधा खेती
निवासी ग्राम बडीकराड वावडीखेडा तेहसील कन्नौद
4. गेंदालाल पिता गुसाई बारेला उम्र 35 वर्ष धंधा खेती
निवासी ग्राम बडीकराड वावडीखेडा तेहसील कन्नौद
5. लीलाबाई पति स्व. रानिया बारेला उम्र 50 वर्ष धंधा खेती
निवासी ग्राम बडीकराड वावडीखेडा तेहसील कन्नौद
6. समराबाई पिता रानिया पति विष्णु बारेला उम्र 24 वर्ष
धंधा घरुकाम निवासी ग्राम कालापाठा तेहसील कन्नौद
7. भारत पिता रानिया बारेला उम्र 21 वर्ष धंधा खेती
निवासी ग्राम बडीकराड वावडीखेडा तेहसील कन्नौद
8. रेंगलीबाई पति स्व. बेस्ता बारेला उम्र 45 वर्ष धंधा खेती
निवासी ग्राम बडीकराड वावडीखेडा तेहसील कन्नौद
9. पवन पिता बेस्ता बारेला उम्र 23 वर्ष धंधा खेती
निवासी ग्राम बडीकराड वावडीखेडा तेहसील कन्नौद
10. नितेश पिता बेस्ता बारेला उम्र 20 वर्ष धंधा खेती
निवासी ग्राम बडीकराड वावडीखेडा तेहसील कन्नौद
11. सतीश पिता बेस्ता बारेला उम्र 15 वर्ष अवयस्क
12. ममताबाई पिता बेस्ता बारेला उम्र 12 वर्ष अवयस्क
दोनो अवयस्क की वादार्थ संरक्षक माता
रेंगलीबाई पति स्व. बेस्ता बारेला उम्र 45 वर्ष धंधा खेती
निवासी ग्राम बडीकराड वावडीखेडा तेहसील कन्नौद

विपक्षीगण



पुनरिक्षण धारा 50 म.प्र.भूराजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत

सम्माननीय अपर आयुक्त महोदय, उच्चैय संभाग
उज्जैन के अपील प्रकरण क. 1355/अपील/2017
-18 मे पारित आदेश दिनांक 15/04/2019 जिसके
द्वारा श्री अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व उप
खंड कन्नौद जिला देवास के प्रथम अपील प्रकरण
क. 38/अपील/2016-17 मे पारित आदेश दिनांक
03/05/2018 को अपास्त करते हुये विधारण
न्यायालय तेहसीलदार महोदय कन्नौद जिला देवास
म.प्र. के ग्राम बावडीखेडा की नामांतरण पंजी क.22
/2017 मे पारित आदेश दिनांक 01/02/2017
को विधि सम्मत मानते हुये उसे स्थित रखा गया है
से असन्तुष्टी पर ।


महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से विपक्षीगण के विरुद्ध यह पुनरिक्षण सादर श्रीमान के
समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत है कि :-

त थ य

यह कि मूल पुरुष गुसाई आत्मज श्री बोंडा बारेला निवासी वावडीखेडा
थे। गुसाई बारेला के सात पुत्र कमशः जुबानसिंह, ओंकारसिंह, रानिया, बेस्ता,
भुवानसिंह, हेमराज व गेंदालाल है जिसमे से ओंकारसिंह व रानिया का स्वर्गवास
हो चुका है। ओंकारसिंह के प्रार्थी क.1 लगायत 15 तक के पुत्र पुत्री व विधवा
पत्नि होकर उनके वारिस व उत्तराधिकारी है। इसी प्रकार रानिया की दो
पत्नियां कमशः नानलीबाई व लीलाबाई नामक है। नानलीबाई प्रार्थी क.20 है तथा
लीलाबाई विपक्षी क.5 है। रानिया के नानलीबाई से उत्पन्न पुत्र पुत्री संतान प्रार्थी
क.17,18 एवं 19 है तथा लीलाबाई से उत्पन्न पुत्र पुत्री संतान विपक्षी क.6 व 7
है। इसी प्रकार बेस्ता की पत्नि विपक्षी क. 8 है तथा बेस्ता के पुत्र पुत्री संतान
विपक्षी क.9,10,11,12 नामक है। गुसाई का स्वर्गवास होने के बाद उसके
प्रार्थीगण व विपक्षीगण वारिस व उत्तराधिकारी बने है।

यह कि गुसाई के नाम मालिकी भूमि स्वामी स्वत्व व आधिपत्य की
कृषि भूमि गुसाई के जीवन पर्यन्त तक गुसाई के नाम पर ग्राम वावडीखेडा प.ह.
नं. 6 तेहसील कन्नौद जिला देवास मे सर्वे क. 12 रकबा 9.00 हे. लगान.29.88 की



162

194

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर

अनुपृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-0682/2019/देवास/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	<p>आवेदक की ओर से श्री बी.एल. मावर उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/04/2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में नवीनतम संशोधन दिनांक 25/09/2018 से प्रभावशील है, संशोधन पश्चात मंडल को निगरानी में सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। अतः यह निगरानी अधिकार विहीन होने से अग्रहय की जाती है। आवेदक समक्ष न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	

h